



डॉ शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
उत्तर प्रदेश सरकार

प्रेषक,

कुलसचिव

डॉ शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,

लखनऊ।

सेवा में,

1. प्रो० हिमांशु शेखर झा, निदेशक, आन्तरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ,
डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2. प्रो० राजीव मनोहर, निदेशक, आई.क्यू.ए.सी., लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. प्रो० मल्लिकार्जुन जोशी, निदेशक, आई.क्यू.ए.सी., बी०एच०य००, वाराणसी।
4. प्रो० हेमशंकर बाजपेई, निदेशक, आई.क्यू.ए.सी.,
डी०डी०य०० गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
5. प्रो० देवेन्द्र नाथ सिंह, अधिष्ठाता, कला एवं संगीत संकाय,
डी०एस०एम०एन०आर०य००, लखनऊ।
6. प्रो० अश्वनी कुमार दुबे, आचार्य, राजनीतिशास्त्र, डी०एस०एम०एन०आर०य००, लखनऊ।
7. प्रो० विनोद कुमार सिंह, अधिष्ठाता, विशेष शिक्षा संकाय,
डी०एस०एम०एन०आर०य००, लखनऊ।
8. प्रो० शफाली यादव, अधिष्ठाता, विधि संकाय, डी०एस०एम०एन०आर०य००, लखनऊ।
9. प्रो० नागेन्द्र यादव,, अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय, डी०एस०एम०एन०आर०य००, लखनऊ।
10. प्रो० रजनी रंजन सिंह, अधिष्ठाता, छात्र-कल्याण, डी०एस०एम०एन०आर०य००, लखनऊ।
11. प्रो० चन्द्र कुमार दीक्षित, अधिष्ठाता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संकाय,
डी०एस०एम०एन०आर०य००, लखनऊ।
12. प्रो० राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, अधिष्ठाता, कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी संकाय,
डी०एस०एम०एन०आर०य००, लखनऊ।

पत्रांक: ५८० /फा०सं०-१३३३ /DSMNRU/आई.क्यू.ए.सी./२०१९-२०

दिनांक: २७ जून, 2019

विषय:- डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की आन्तरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ की प्रथम बैठक दिनांक: 22.06.2019 के कार्यवृत्त प्रेषण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया / महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की आन्तरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ की प्रथम बैठक दिनांक: 22.06.2019 के कार्यवृत्त की छायाप्रति प्रेषित किये जाने का निदेश हुआ है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

के आन्तरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ (IQAC) की प्रथम बैठक

दिनांक: 22 जून, 2019 का कार्यवृत्त

समय -	पूर्वाह्न: 11:30 बजे
स्थान -	प्रशासनिक भवन, पंचम तल स्थित कॉफेंस हॉल, डॉ० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

उपरोक्तानुसार विश्वविद्यालय की आन्तरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ की प्रथम बैठक विश्वविद्यालय के पंचम तल स्थित सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में सदस्यों की उपस्थिति संलग्नक के अनुसार रही। बैठक में विभिन्न एजेंडा विन्दुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

बिन्दु सं०	कार्यवाही
1/1	<p>शिक्षकवृन्द की प्रोन्नति के सम्बन्ध में दिनांक: 21 अगस्त, 2018 को विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप का अनुमोदन।</p> <p>निर्णय:- दिनांक: 21 अगस्त, 2018 को निर्गत कार्यालय ज्ञाप के अनुरूप शिक्षकवृन्द की प्रोन्नति सम्बन्धी विश्वविद्यालय में प्रचलित कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>
2/1	<p>कैरियर एडवांसमेण्ट योजनान्तर्गत (CAS) शिक्षकवृन्द की प्रोन्नति के सम्बन्ध में गठित की गई प्रारंभिक स्क्रीनिंग समिति के सम्बन्ध में।</p> <p>निर्णय:- कैरियर एडवांसमेन्ट योजनान्तर्गत विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षकों की प्रोन्नति हेतु गठित प्रारंभिक स्क्रीनिंग समिति को स्वीकृत करते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>
3/1	<p>असिस्टेण्ट प्रोफेसर प्रथम चरण से द्वितीय चरण तथा द्वितीय चरण से तृतीय चरण (AGP 6000 से AGP 7000 तथा AGP 7000 से AGP 8000) में पदोन्नति हेतु गठित स्क्रीनिंग-कम-इवेल्युएशन समिति के अनुमोदन के सम्बन्ध में।</p> <p>निर्णय:- असिस्टेण्ट प्रोफेसर के स्टेज-1 से स्टेज-2 व स्टेज-2 से स्टेज-3 (AGP 6000 से AGP 7000 तथा AGP 7000 से AGP 8000) में प्रोन्नति हेतु गठित स्क्रीनिंग-कम-इवेल्युएशन समिति के सम्बन्ध में यथावांछित अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>
4/1	<p>विशेष शिक्षा संकायान्तर्गत कार्यरत शिक्षकों की प्रोन्नति य०३०१०१०१० विनियम में प्राविधानित व्यवस्थानुसार किये जाने के सम्बन्ध में।</p> <p>निर्णय:- आई.क्यू.ए.सी. द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के उप निदेशक द्वारा विश्वविद्यालय के कुलसचिव को दिनांक: 20.11.2018 को प्रेषित पत्रांक: 36695/फा०सं०७-११/आर०सी०आई०/2017 को कार्य परिषद् की आगामी बैठक में प्रस्तुत कर, सम्मानित सदस्यों को संज्ञानित कराते हुए यथापेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त विशेष शिक्षा संकायान्तर्गत शिक्षकवृन्द की नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर निर्गत विनियम में प्राविधानित व्यवस्थानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।</p>
5/1	<p>कैरियर एडवांसमेन्ट योजना के अन्तर्गत प्रोन्नति के सम्बन्ध में शिक्षकवृन्द की मूल्यांकन अवधि के दृष्टिगत उन पर लागू होने वाले य०३०१०१०१० विनियमों के निर्धारण के सम्बन्ध में।</p> <p>निर्णय:- आई.क्यू.ए.सी. द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त विश्वविद्यालय में शिक्षकवृन्द की नियुक्ति/प्रोन्नति के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर निर्गत विनियम एवं अनुवर्ती संशोधन (विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली, 2009 के अध्याय-आठ के बिन्दु संख्या-८.०१ में प्राविधानित व्यवस्थानुसार) भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की तिथि से निम्नवत् रूप में लागू/प्रभावी किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई-</p>

27/06/2019
श्रीमति शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
प्रशासनिक व्यापारी विभाग
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय
प्राविधानित व्यवस्थानुसार

27/06/2019
श्रीमति शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
प्रशासनिक व्यापारी विभाग
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय
प्राविधानित व्यवस्थानुसार

(श्रीमति अर.के.पी. सिंह)
कुलपति विश्वविद्यालय
लखनऊ

	<p>यू०जी०सी० प्रधान विनियम— 2010 भारत के राजपत्र में अधिसूचना की तिथि: 18 सितम्बर, 2010</p> <p>(i). विश्वविद्यालय के ऐसे शिक्षक जो 18 सितम्बर, 2010 से 12 जून, 2013 तक प्रोन्नति हेतु अर्ह हो चुके हैं, उनके सम्बन्ध में यू०जी०सी० प्रधान विनियम, 2010 लागू/प्रभावी होगा।</p> <p>यू०जी०सी० विनियम— 2013 (द्वितीय संशोधन) भारत के राजपत्र में अधिसूचना की तिथि: 13 जून, 2013</p> <p>(ii). दिनांक 13 जून, 2013 से दिनांक 10 जुलाई, 20016 के मध्य विश्वविद्यालय के अर्ह शिक्षकवृन्द के प्रोन्नति के प्रकरण यू०जी०सी० विनियम—2013 (द्वितीय संशोधन) से आच्छादित होंगे।</p> <p>यू०जी०सी० विनियम— 2016 (चतुर्थ संशोधन) भारत के राजपत्र में अधिसूचना की तिथि: 11 जुलाई, 2016</p> <p>(iii). यू०जी०सी० विनियम, 2016 (चतुर्थ संशोधन) 11 जुलाई, 2016 से दिनांक 17 जुलाई, 2018 तक विश्वविद्यालय के अर्ह शिक्षकवृन्द की प्रोन्नति के सम्बन्ध में लागू होगा।</p> <p>यू०जी०सी० विनियम— 2018 भारत के राजपत्र में अधिसूचना की तिथि: 18 जुलाई, 2018</p> <p>(iv). दिनांक 18 जुलाई, 2018 के उपरान्त विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति/प्रोन्नति के विषय में यू०जी०सी० विनियम—2018 लागू/प्रभावी होगा।</p> <p>असिस्टेण्ट प्रोफेसर स्टेज-1 से स्टेज-2, (AGP 6000 से AGP 7000) एवं असिस्टेण्ट प्रोफेसर स्टेज-2 से स्टेज-3, (AGP 7000 से AGP 8000) में प्रोन्नति हेतु ऐसे शिक्षकवृन्द जो अपनी अहता अवधि के दौरान अभिन्यास/पुनर्शर्या पाठ्यक्रम में प्रतिभागिता से वंचित रहे हैं तथा ऐसे शिक्षक जो उ० प्र० शासन के उच्च शिक्षा अनुभाग—1 द्वारा दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 को निर्गत शासनादेश से भी लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं, उनकी प्रोन्नति के सम्बन्ध में यू०जी०सी० विनियम—2018 में निहित प्राविधान के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।</p>
6/1	<p>उच्च शिक्षा विभाग, उ० प्र० शासन के निर्गत शासनादेश संख्या—4/2017/477/सत्तर-1-2017-16 (114)/2010 दिनांक: 11 अक्टूबर, 2017 में प्राविधानित व्यवस्था का लाभ प्रदान करते हुए शिक्षकवृन्द की प्रोन्नति किये जाने के सम्बन्ध में।</p> <p>निर्णयः— विश्वविद्यालय के कार्य परिषद् की 22वीं बैठक दिनांक 28.12.2018 में उ० प्र० शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत उक्त शासनादेश को अंगीकृत करते हुए प्रशासकीय विभाग को सन्दर्भित किये जाने के निर्णय से सहमत होते हुए आई.क्यू.ए.सी. ने इसे मात्र असिस्टेण्ट प्रोफेसर स्टेज-1 से स्टेज-2, (AGP 6000 से AGP 7000) एवं असिस्टेण्ट प्रोफेसर स्टेज-2 से स्टेज-3, (AGP 7000 से AGP 8000) में शिक्षकवृन्द की प्रोन्नति के सम्बन्ध में लागू किये जाने का निर्णय लिया तथा यह स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय में चयन समिति के माध्यम से सम्पन्न होने वाली शिक्षकवृन्द की प्रोन्नतियों (यथा स्टेज-3 से एसोसिएट प्रोफेसर के स्टेज-4, AGP 8000 से AGP 9000 तथा स्टेज-4 से प्रोफेसर के स्टेज-5, AGP 9000 से AGP 10000) जिनमें पदनाम परिवर्तित होता है, के प्रकरण उक्त शासनादेश से आच्छादित नहीं होंगे।</p> <p>आई.क्यू.ए.सी. द्वारा यह मत भी व्यक्त किया गया कि कुलपति के माध्यम से विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष महोदय को विश्वविद्यालय के अधिनियम व परिनियमावली में उक्त शासनादेश को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में सादर संसूचित करा दिया जाय, ताकि वे इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को यथापेक्षित निर्देश प्रदान करना चाहें।</p>
7/1	<p>असिस्टेण्ट प्रोफेसर तृतीय चरण से एसोसिएट प्रोफेसर के चतुर्थ चरण (AGP 8000 से AGP 9000) तथा एसोसिएट प्रोफेसर चतुर्थ चरण से प्रोफेसर के पंचम चरण (AGP 9000 से AGP 10000) में शिक्षकवृन्द की प्रोन्नति के सम्बन्ध में।</p> <p>निर्णयः— आई.क्यू.ए.सी. द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यथावांछित अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>
8/1	<p>विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षकों की सम्पादित सम्पूर्ण प्रोन्नति प्रक्रिया से यू०जी०सी० को अवगत कराये जाने के सम्बन्ध में।</p> <p>निर्णयः— आई.क्यू.ए.सी. द्वारा मंत्र व्यक्त किया गया कि विश्वविद्यालय स्तर पर सम्पादित सम्पूर्ण प्रोन्नति प्रक्रिया से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली को अवगत कराये जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे प्रकरण जहाँ प्रोन्नति के सम्बन्ध में किसी प्रकार की दुविधा या संशय हो तो यू०जी०सी० स्कैमार्ग दर्शन प्राप्त किया जा सकता है।</p>
	<p>अन्य किसी बिन्दु पर चर्चा न होने के कारण, बैठक में उपस्थित सदस्यगण को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।</p> <p style="text-align: center;">(इस बैठक का अधिकारी) (प्रबंधन विभाग)</p>

अन्य किसी बिन्दु पर चर्चा न होने के कारण बैठक में उपस्थित सदस्यगण को धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

न क कारण बठ
देख
प्राप्ति वाहिका
स्थिरता दृष्टिकोण
प्राप्ति वाहिका
(आनंदित एकता शहर उत्तर
के लला दिल्ली शहर उत्तर
लखांऊ

2

~~17/10/2018~~

(प्र) आर.के.पी. सिंह
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय